# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

**समक्ष - आशीष श्रीवास्तव**

**सदस्य**

निगरानी प्रकरण क्रमांक 379-तीन/15 विरूध्द आदेश दिनांक 9-2-2015 पारित व्दारा अपर आयुक्त,रीवा संभाग, रीवा म0 प्र0 के प्रकरण क्रमांक 677/अपील/11-12

1 रामसुमिरन पिता रामेश्वर सिंह उम्र 55 वर्ष, पेशा खेती
2 रामसखी पति रामसुमिरन सिंह, उम्र 50 वर्ष, पेशा घरूकार्य
दोनों निवासी ग्राम भमरा, तहसील सेमरिया, जिला रीवा म0 प्र0

- आवेदकगण

- विरूध्द -

1 सुरेश सिंह पिता भोला सिंह, उम्र 40 वर्ष पेशा खेती
2 राजेन्द्रसिंह पिता भोला सिंह, उम्र 45 वर्ष पेशा खेती
दोनों निवासी ग्राम भमरा, तहसील सेमरिया,जिला रीवा म0 प्र0

- अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव,अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदकगण

आ दे श

(आज दिनांक 10.3.2016 को पारित)

१. यह निगरानी प्र क्र 379/तीन/15 रा.मं. में म0 प्र0 भू'राजस्व संहिता 1959 जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा की धारा ५० के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र क्र 677/अपील/11-12 में पारित आदेश दि 9-2-15 के विरुद्ध संस्थित हुआ है.

२ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है । निगराकारगण द्वारा स्थित ग्राम भमरा की आराजी नंबर 799/1क/1 रकबा 0.032 हैक्टेयर, 799/1क/2 रकबा 0.049 हैक्टेयर, , 799/1क/3 रकबा 0.049 हैक्टेयर, , 799/1ग/2 रकबा 0.048 हैक्टेयर, , 799/3 रकबा 0.032 हैक्टेयर, कुल 5 किता नक्शा तरमीम हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया । तहसीलदार, सेमरिया व्दारा प्रकरण क्रमांक 2/अ5/10-11 में पारित आदेश दिनांक 7-7-2011 व्दारा नक्शा तरमीम के आदेश दिये गये । इस आदेश से परिवेदित होकर गैर निगराकारगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष आदेश दिनांक 7-7-2011 के पुनर्विलोकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । तंहसीलदार व्दारा दिनांक 18-1-12 को पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु आवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी के व्दारा प्रकरण क्रमांक 32/अ5/11-12 में आदेश दिनांक 17-2-12 व्दारा पुनर्विलोकन की अनुमति दी गई । इस आदेश से परिवेदित होकर निगराकारगण द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 677/अपील/11-12 में आदेश दिनांक 9-2-15 व्दारा निगराकारगण की अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूध्द यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

३ मैने प्रकरण में उभयपक्ष के विव्दान अधिवक्ताओं के तर्क सुने और अभिलेख का परिशीलन किया ।

निगराकार अधिवक्ता ने प्रारंभ में तर्क किया कि अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 32/अ-5/11-12 कभी दायर नहीं हुआ था । किन्तु इसके तत्काल उपरांत जब उन्हें यह दिखाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने पुनर्विलोकन की अनुमति तहसील न्यायालय की फाईल में दिनांक 17-2-12 को दी गयी थी तथा तहसील के प्रकरण क्रमांक 2/अ-

5/10-11 के कवर के उपर अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण32/अ-5/पुनर्विलोकन आदेश 17-2-12 भी लिखा है, तो उन्होंने आगे तर्क किया कि उनके पक्षकार को सुनवाई का मौका दिए बगैर पुनर्विलोकन की अनुमति दिया जाना उपयुक्त नहीं था । इसके साथ ही निगराकार अधिवक्ता व्दारा लिखित तर्क में वही तर्क प्रस्तुत किये गये जो निगरानी मेमों में अंकित है जिनको संज्ञान में लिया जा रहा है ।

गैर निगराकार अधिवक्ता व्दारा तर्क किया गया कि उन्होंने सर्वेक्रमांक 799/1घ तथा 814/1क/2 दिनांक 16-9-10 को सुखरनिया से क्रय किए हैं । विवाद सर्वे नंबर 799/1घ की तरमीम को लेकर है, जिसमें इस सर्वे क्रमांक का सडक से लगा हुआ अंश उसके वास्तविक स्वरूप से कम दिखाया गया है । उन्होंने आगे कहा कि दिनांक 6-7-11 को भूमि क्रय उपरान्त नामांतरण हुआ था एवं दिनांक 7-7-11 को निगराकारगण व्दारा उन्हें बगैर सूचित किए विषयांकित तरमीम करायी गयी जो अनुपयुक्त है । अत- तहसीलदार व्दारा दिनांक 18-1-12 को अनुविभागीय अधिकारी से पुनर्विलोकन की अनुमती मांगी गयी जिसे उन्होंने दिनांक 17-2-12 को कारणों सहित दिया । अनुविभागीय अधिकारीका यह आदेश एक अंतरिम आदेश होने के कारण अपील योग्य नहीं था अत- अपर आयुक्त का आदेश सही था ।

निगराकार अधिवक्ता ने प्रतिउत्तर में कहा कि जब तरमीम संबंधी कार्यवाही हो रही थी तब गैर निगराकारगण भूमिस्वामी थे ही नहीं अत: उन्हें सूचना देने का प्रश्न ही नहीं था । इस आधार पर उन्होंने पुनर्विलोकन की अनुमति एवं अपर आयुक्त के आदेश को अनुचित होना कहा।

४ तर्कों और अभिलेखों के परिशीलन के आधार पर मैं इस प्रकरण में निम्न बिंदु प्रमुखता से टीप एवं विचार योग्य पाता हूँ:

(१) अपर आयुक्त द्वारा उनके न्यायालय का प्रकरण इस निष्कर्ष के साथ खारिज किया गया है कि अनु अधि द्वारा दी गयी पुनर्विलोकन की अनुमति एक अंतिम स्वरुप का आदेश नहीं होने के कारण अपीलनीय नहीं है.

यहाँ निम्न न्यायदृष्टान्तों और सिद्धांतों का सन्दर्भ लेना सुसंगत है:

- पुनर्विलोकन के लिए मंज़ूरी मनोनियोग का प्रयोग किये बगैर, यंत्रवत, और दूसरे पक्ष को सूचना दिए बिना नहीं दी जा सकती [बिहारीलाल वि मप्र राज्य, २०१० रानि १२४ (उच्च न्या)].
- जब कोई पुनर्विलोकन का आवेदन प्रस्तुत होगा, तो पहले उसकी प्रारम्भिक सुनवाई होगी जिसमे आवेदक को न्यायालय का यह समाधान कराना होगा कि पुनर्विलोकन का कोई विधि-सम्मत आधार है. इसके बाद न्यायालय अनावेदकों को सूचना देगा कि वे कारण बतलाएं कि बतलाए गए आधारों पर पुनर्विलोकन क्यों ना स्वीकार किया जाए. ऐसी सूचना की तामीली के बाद अनावेदकों के समक्ष, यदि वे उपस्थित हों और विरोध करें, इस बात का विनिश्चय होगा कि पुनर्विलोकन के आधार विधि-सम्मत हैं या नहीं. [बलवंतराव वि राजस्व मंडल, १९९७ रानि १५७ (उच्च न्या), बनारसीदास भनोट वि देवीशंकर, १९६६ रानि ५२१ = १९६६ जे एल जे १०५६].

उपरोक्त के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि पुनर्विलोकन की अनुमति दिए जाने की प्रक्रिया अपने आप में एक पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया है जिसके परिणाम-स्वरुप ऐसी अनुमति के सम्बन्ध में विनिश्चय करने वाले न्यायालय को ऐसी अनुमति देने या न देने के सम्बन्ध में एक अंतिम निर्णय लेना होता है.

यह सही है कि संहिता की धारा ४६(ख) के अनुसार कोई ऐसा आदेश जिसके द्वारा पुनर्विलोकन के लिए किये गए किसी आवेदन को नामंजूर किया गया हो, के विरुद्ध अंपील नहीं की जा सकती. किन्तु यहाँ यह देखना महत्वपूर्ण और आवश्यक है कि पुनर्विलोकन का आवेदन मंज़ूर होने की स्थिति में ऐसी अपील से बाधा का कोई लेख संहिता में नहीं है. असल में, न्याय की व्यवस्था और प्रक्रिया का दुरूपयोग ना हो, इसलिए पुनर्विलोकन की अनुमति के बिंदु पर विचार करने वाले न्यायालय द्वारा उभय

पक्ष को सुनते हुए यह देखा जाना अपेक्षित है कि पुनर्विलोकन हेतु समुचित विधिक आधार हैं या नहीं, और इसके प्रकाश में ही ऐसे न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति सम्बन्धी अपना अंतिम निर्णय लिया जाना अपेक्षित है. स्पष्टतः, ऐसा पुनर्विलोकन की अनुमति दिए जाने या नहीं दिए जाने सम्बन्धी निर्णय, उपरोक्त के प्रकाश में, अपने आप में एक अंतिम प्रकार का निर्णय है, ना कि अंतरिम या अनंतिम प्रकार का.

अतः, मैं अपर आयुक्त द्वारा अपने न्यायालय का प्रकरण, उसे एक अंतिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील नहीं मानते हुए, खारिज किया जाना, सही नहीं पाता हूँ.

(२) अनु अधि द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने के पूर्व निम्न कार्यवाहियाँ नहीं की गयी हैं:

(क) उन्होंने पुनर्विलोकन की अनुमति देने के लिए पृथक से अपने न्यायालयीन प्रकरण की कोई नस्ती नहीं संधारित की. केवल तहसील के प्रकरण की नस्ती पर ही, एक ही दिनांक १७-२-१२ को, अपने न्या. के प्र क्र ३२/अ-५/११ की प्रोसीडिंग को अभिलिखित कर लिया है.

(ख) उन्होंने केवल तहसीलदार के प्रस्ताव के प्रकाश में पुनर्विलोकन के आधारों को विधि-सम्मत मानते हुए पुनर्विलोकन की अनुमति दे दी है.

(ग) उन्होंने पुनर्विलोकन के आवेदकगण के आवेदन के प्रकाश में पुनर्विलोकन के विधि-सम्मत आधारों को अभिलिखित कर उन्हें प्रतिपक्ष को उपलब्ध नहीं कराया है और प्रतिपक्ष को सुने बिना अपना पुनर्विलोकन की अनुमति संबंधी निर्णय ले लिया है, जो कि स्पष्टतः उचित नहीं है.

इनके सम्बन्ध में भी पूर्व बिंदु (१) में लिखे गए न्यायदृष्टांत और सिद्धांत लागू होते हैं.

(५) उपरोक्त समस्त विवेचना के प्रकाश में मैं अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दि ९-२-१५ स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ और उसे निरस्त करता हूँ.

साथ ही अनु अधि को यह निर्देश देता हूँ कि वे पुनर्विलोकन की अनुमति देने से सम्बन्धित अपने न्यायालयीन प्रकरण क्र ३२/अ-५/११ को पुंन: अब अपने न्यायालय की ही एक नस्ती पर, तहसील न्यायालय की नस्ती से पृथक, खोलें. तदुपरांत पुनर्विलोकन के विधि-सम्मत आधारों के अपना समाधान करते हुए वे अनावेदकों को उनकी सूचना दें कि वे कारण बतलाएं कि बतलाए गए आधारों पर पुनर्विलोकन क्यों ना स्वीकार किया जाए. ऐसी सूचना की तामीली के बाद अनावेदकों के समक्ष, यदि वे उपस्थित हों और विरोध करें, इस बात का विनिश्चय करें कि पुनर्विलोकन के आधार विधि-सम्मत हैं या नहीं, और तदनुसार अपना निर्णय पारित करें.

आदेश पारित.
पक्षकार सूचित हो ।
अभिलेख वापस हो ।
दा0रि0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर